न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 05/2025 आर्म्स अपील (GCMS/2025/111)
पंजीयन दिनांक – 07.05.2025

भानसिंह पिता श्री अखेसिंह चौहान, निवासी पालरा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, उदयपुर
2. जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द (राज.)

–प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति दौराने बहसः–

1. भूपेन्द्र सिंह चुण्डावत – वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार मुरलीधर पालीवाल – वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा–18 आयुध अधिनियम, 1959 विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश क्रमांक एफ.21/4(01)श.ला. नवी./न्याय/2023/6048 दिनांक 09.08.2023

निर्णय

दिनांक 27.03.2026

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश क्रमांक एफ. 21/4(01)श.ला.नवी./न्याय/2023/6048 दिनांक 09.08.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

- अपीलार्थी ने शस्त्र लाईसेंस नम्बर 03/2012 अवधि 01.01.2018 से 31.12.2020 तक नवीनीकरण के विचाराधीन मामले में नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण में बाद सुनवायी उपरान्त अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय में अन्तर्गत धारा 451, 427, 34 आई.पी.सी. के चार्जशीट में निर्णय होने तक जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ने आदेश दिनांक 16.08.2018 द्वारा आर्म्स अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया। उक्त निलम्बित आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पेश की जिसे बाद सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को यथावत रखा जाकर अपीलार्थी की अपील दिनांक 17.08.2020 को खारिज की गयी।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

- अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त आदेशों के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका एस.बी.सिविट रिट पिटीशन संख्या 7422/2022 दायर की गयी। माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 24.05.2022 द्वारा प्रार्थी को अपना अभ्यावेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करने के साथ जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ने पुनः प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त की गई। जांच रिपोर्ट व प्रकरण पर विचार एवं मनन उपरान्त अपीलार्थी का लाईसेंस जिला मजिस्ट्रेट,. राजसमन्द द्वारा आदेश दिनांक 09.08.2023 से निरस्त (Rejected) कर दिया।

- उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–05 मयाद अधिनियम प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

- विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी आर्मी (फौज) से सेवानिवृत्त है जिसके द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है एवं न ही भविष्य में दुरूपयोग किये जाने की संभावना है। अपीलार्थी के विरूद्ध कुल दर्ज चार प्रकरणों में से प्रकरण संख्या 285/13 में राजीनामा होने, प्रकरण संख्या 285/93 निर्णित होने, प्रकरण संख्या 271/16 में प्रार्थी को परीवीक्षा का लाभ दिया जाने तथा प्रकरण संख्या 254/2021 न्यायालय में विचाराधीन होना बताया है। इसके अतिरिक्त अति. जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द की जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा आर्म्स का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा अपीलार्थी के स्वयं शपथ पत्र अनुसार आर्म्स लाईसेंस का दुरूपयोग नहीं किया है और न ही भविष्य में इसका दुरूपयोग किया जायेगा।

- यह भी बताया कि अपीलार्थी आर्मी से सेवानिवृत्त है तथा वर्तमान में रोजगार का कोई स्त्रोत नहीं होने से आर्म्स लाईसेंस का नवीनीकरण किया जावे जिससे बैंक इत्यादि में सिक्योरिटी सर्विस कर आजीविका का साधन उपलब्ध हो सके। साथ ही अपीलार्थी कृषि कार्य भी करता है जिससे रात्रि में खेत पर रहने से जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

आत्मरक्षार्थ आर्म्स की आवश्यकता होना बताया। अन्त में निवेदन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

- विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन व मनन किया। न्यायहित में विलम्ब अवधि कन्डोन करते हुए गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थी भारतीय सेना से सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। साथ ही उनके कथनानुसार उनके विरूद्ध विविध मामले पारिवारिक विवादों के चलते हुए हैं जिनमें से अधिकांश का निस्तारण हो चुका है। प्रार्थी द्वारा आजीविका एवं सुरक्षा हेतु आर्म्स की आवश्यकता को दर्शाया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कथित लम्बित प्रकरण की अद्यतन स्थिति ज्ञात की जाकर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अद्यतन वैधानिक रिपोर्टों (Updated statutory reports) के आलोक में अपीलार्थी को न्यायहित में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समस्त पहलुओं का विश्लेषण किया जाकर, नए सिरे से 03 माह में निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थी दिनांक 27.04.2026 को सुनवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के समक्ष उपस्थित हों।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

भानसिंह चौहान	**बनाम**	जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 05 / 2025 आर्म्स

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
27-03-2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। निर्णय सुनाया जाकर विस्तृत निर्णय अलग से शामिल फाईल किया गया। प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कथित लम्बित प्रकरण की अद्यतन स्थिति ज्ञात की जाकर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अद्यतन वैधानिक रिपोर्टों (Updated statutory reports) के आलोक में अपीलार्थी को न्यायहित में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समस्त पहलुओं का विश्लेषण किया जाकर, नए सिरे से 03 माह में निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थी दिनांक 27.04.2026 को सुनवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के समक्ष उपस्थित हों। मिसल फैसल शुमार हो। 27/03/2026 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		